<u>प्रेस नोट दिनाँक-28.02.2023</u>

(1). आज दिनाँक-28.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनांक 28.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री गुलाब सोनकर तथा उनकी टीम द्वारा बिजहना कोलान से अभियुक्तगण 1.अर्जुन कोल पुत्र रामशरण कोल 2. रामपाल कोल पुत्र शिवनाथ कोल 3. मैका कोल पुत्र गलहू कोल निवासी 4. राजभर पुत्र डौकी कोल 5. बहिरा कोल पुत्र सिखदार निवासीगण ग्राम बिजहना कोलान मजरा मड़ैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 3020 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 190 रूपये बरामद हुए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1. मालफड़ से 3020 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 190 रूपये

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री गुलाबचचंद्र सोनकर
2. आरक्षी शक्ति सिंह
3. आरक्षी संदीप यादव
4. महिला आरक्षी गुड़िया

(4). दिनांक 27.02.2023 को जनपद प्रयागराज में श्री उमेश पाल एवं उनकी सुरक्षा में लगे आरक्षी संदीप निषाद की हुई हत्या के वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु जनपद चित्रकूट के थाना राजापुर थानांतर्गत यमुना पुल कौशाम्बी बॉर्डर पर एवं थाना बरगढ़ अंतर्गत मुरका बॉर्डर पर पुलिस पिकेट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है।

(5). दिनाँक-10.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला एवं जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद द्वारा जिला कारागार चित्रकूट की आकस्मिक चेकिंग की गयी थी, जिसमें कारागार में निरूद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उसकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अन्दर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के सहयोग से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 88/2023 धारा 387,222,186,506,201,120(बी), 195(ए),34 आईपीसी, 42बी,54 प्रिजनर्स व 7 सीएलए एक्ट, 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कर निखत बानो पत्नी अब्बास अंसारी एवं उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार किया गया था । विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्तों के मुख्य सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना के क्रम में दिनांक 26.02.2023 को 18 टीमों का गठन कर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर विभिन्न स्थानों में छापेमारी की गई, यह छापेमारी नामजद अभियुक्तों एवं उनसे जुडे व्यक्तियों तथा विवेचना के मध्य पाए गए अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के आवासों पर की गई । इस पूरी कार्यवाही के लिए अतिरिक्त फोर्स जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा से लिया गया एवं कुल 208 पुलिसकर्मियों को इस कार्यवाही में सम्मिलित किया गया था।

इस छापेमारी के दौरान अभियुक्त नियाज अंसारी के गांव रेवतीपुर जनपद गाजीपुर स्थित आवास से कुछ महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है जिसका ब्यौरा परिवार वाले देने में असमर्थ रहे इसका विवरण निम्नवत हैः-

1. 4,00000/- रुपये कैश
2. स्कॉर्पियो गाड़ी रजि0 नं0 यूपी0 15 एपी 8000
3. 10,00000/- रुपये की SBI खाते की एफडी की छाया प्रति जो नियाज के पिता मुन्ना असांरी के नाम है
4. नियाज अंसारी के मो0नं0 6392419861 पर मनी ट्रांसफर की विभिन्न नाम की 05 पर्चियां कुल 50,000/- रुपये की
5. 01 अदद SBI चेक बुक मुन्ना असांरी के नाम जिसमें से 04 चैक काटा गया है जिसका विवरण नहीं दे सके

इन सभी वस्तुओं को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है इस की अग्रिम जांच की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों से कुछ संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुये है जिनकी पुष्टी की जा रही है।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना से प्रकाश में आयी अभियुक्ता चंद्रकला पत्नी रामआसरे गौतम निवासी E-837, सेक्टर-I एलडीए कालोनी कानपुर रोड थाना आशियाना लखनऊ की गिरफ्तारी कर ली गयी है,

अभियुक्ता चन्द्रकला जिला कारागार चित्रकूट में डिप्टी जेलर के पद पर नियुक्त थी । शेष अभियुक्तों से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

(6). होली एवं शब-ए-बारात त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदया की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित की गयी

आज दिनाँक-28.02.2023 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला की उपस्थिति में कानून व्यवस्था व होली के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने तथा सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने आदि के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार 07 मार्च 2023 को होलिका दहन होगा एवं 8 मार्च 2023 को होली खेली जाएगी उसी दिन शब-ए- बारात का भी त्यौहार पड़ रहा है इसको देखते हुए सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहकर त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं, उन्होंने कहा कि नगर पंचायतों व नगरपालिका का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है अच्छी तरह से साफ सफाई रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निराश्रित गोवंश का नियंत्रण अभियान चलाकर कराएं ।उन्होंने कहा की फायर ब्रिगेड की सभी गाड़ियां सभी क्षेत्रों में रहेगी। कहीं विवादित स्थल है तो वहा पर सुरक्षा बल की ड्यूटी लगाई जाय। मऊ में होली 9 मार्च 2023 को खेली जाएगी । जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मऊ एवं सीओ मऊ को निर्देश दिए कि आप लोग भ्रमण कर निगरानी करते रहें। सभी होलिका स्थलों पर सफाई होनी चाहिए मुहल्लों की साफ सफाई एवं नालियों नालों की साफ-सफाई भी होनी चाहिए। सभी जगह पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। पानी के पंप ठीक होना चाहिए जहां पानी की समस्या हो वहां टैंकर से पानी भी पहुंचाया जाय। जुलूस एवं डीजे रात 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए। शराब की दुकानें होली के दिन बंद रहेगी व जो लोग बाहर चोरी से बेचते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिला अस्पताल एवं सीएससी में एक चिकित्सक एवं एंबुलेंस, दवा इमरजेंसी में रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया होली की दिन खनन व ट्रांसपोर्ट न हो। जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि मोटरसाइकिल की चेकिंग कराएं जिससे कि लोग हेलमेट लगाएं। मिलावटी शराब कहीं भी नहीं बिकनी चाहिए इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष तथा आबकारी विभाग लगातार भ्रमण सील रहकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। विद्युत व्यवस्था निर्वाध रूप से रहनी चाहिए। खाद्य मिलावटी को देखते हुए फूड इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि वह देखते रहे जिससे कि खाद्य मिलावट न होने पाए। होलिका दहन स्थलों के संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि जहां आवश्यकता है वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाय। पुलिस अधीक्षक बृदा शुक्ला ने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना पर पीस कमेटी की गोष्ठी कर आयोजको एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर लें । होली के दिन विशेष रूप से 03 सवारी, ओवरस्पीड वाहनों की प्रभावी चेकिंग करे सभी लोग रूचि लेकर कार्य करेंगे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए आज से ही आप लोग निरोधात्मक कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री कुंवर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, अपर उप जिलाधिकारी श्री राम जन्म यादव, उप जिला अधिकारी कर्वी श्री राजबहादुर, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा,

मानिकपुर श्री प्रमेश श्रीवास्तव, मऊ श्री नवदीप शुक्ला, पुलिस क्षेत्राधिकारी लांइस श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पांडेय, राजापुर श्री एस पी सोनकर सहित संबंधित अधिकारी, थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में होली एवं शब-ए-बारात त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना राजापुर, थाना मऊ, थाना सरधुवा, थाना रैपुरा, थाना भरतकूप एवं थाना मारकुण्डी में पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। थाना राजापुर में उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र की उपस्थिति में एवं थाना मऊ में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप शुक्ला एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में एवं थाना मारकुण्डी में उ0नि0 श्री जयप्रकाश की उपस्थिति में थाना क्षेत्र के होलिका दहन एवं शब-ए-बारात आयोजक, धर्मगुरू, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि एवं थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आगामी होली एवं शब-ए- बारात त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये एवं त्यौहारों के दृष्टिगत सतर्क रहकर किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल सम्बन्धित थाना पर सूचना देने हेतु बताया गया। होलिका दहन आयोजकों को बताया गया कि पूर्व से निर्धारित स्थानों पर ही होलिका दहन का आयोजन किया जाये एवं निर्धारित समय पर होलिका दहन किया जाये । त्यौहारों के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पालन करते हुए निर्धारित समय एवं निर्धारित आवाज पर ही डीजे बजाया जाये। सभी से शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ आपसी सौहार्द से त्यौहारों को मनाने की अपील की गयी।